एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे. और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जे.

अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट और वाइन संगठन भारत याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी No.6870/2017

26 मई, 2017

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम**, 1914**-धारा **58 (2) (ई)** और **59**-हरियाणा शराब लाइसेंस नियम**, 1970**-आर**.** एल**. 24 (**आई-ई**. ई. ई.)**-हरियाणा राज्य की उत्पाद शुल्क नीति **2017-18**-इस नीति के अनुसार केवल एक एल**-1** बी**.** एफ**.** लाइसेंस दिया जाएगा जो लाइसेंसधारी को विदेशी शराब में थोक विक्रेता के रूप में सौदा करने का अधिकार देगा **(**बी**.** आई**.** ओ**.-**मूल में बोतल**)-**नीति बरकरार रखी गई-राज्य सरकार लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बना सकती है**,** जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं-यह पूरे राज्य के संबंध में नहीं है-एक स्थानीय क्षेत्र राज्य के भीतर शामिल है-स्थानीय क्षेत्र शब्द का अर्थ स्थानीय क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र भी होगा जो स्थानीय क्षेत्र से छोटा है-यह वित्तीय आयुक्त है**,** जो लाइसेंसों की संख्या को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाएगा जो पूरे राज्य के लिए एक समग्र रूप से जारी किए जा सकते हैं। नीति का उद्देश्य शराब व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखना और राज्य की विभिन्न जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं को संबोधित करना है - वित्तीय आयुक्त को प्रतिस्पर्धी मांगों और आवश्यकताओं को संतुलित करना होगा - एकमात्र थोक विक्रेता बेहतर अनुदान का हकदार होगा कुछ डीलरों को सुविधाएँ - इसलिए बनाई गई नीति में किसी विशेष पार्टी पर कोई एकाधिकार नहीं दिया गया।

माना गया कि, थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंसों की संख्या तय करने की शक्ति खंड 58 (2) (ई) के तहत राज्य सरकार में निहित है।

(पैरा 18)

आगे कहा कि इस खंड के शब्द "या तो पूरे पंजाब के लिए या उसमें शामिल किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए" स्पष्ट रूप से "पूरे राज्य" और "एक स्थानीय क्षेत्र" के बीच के अंतर को इंगित करते हैं।"स्थानीय क्षेत्र" के संबंध में "उसमें शामिल" शब्द इसे और स्पष्ट करते हैं।"उसमें शामिल" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक "स्थानीय क्षेत्र" पंजाब राज्य

के भीतर शामिल है।यदि इरादा राज्य सरकार को समग्र रूप से पूरे राज्य में लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना था, विधायिका ने धारा 58(2)(ई) में संपूर्ण पंजाब शब्द का प्रयोग किया होगा न कि स्थानीय क्षेत्र शब्द का।

1155 अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट और वाइन संगठन भारत v. हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, जे.)

इसलिए "स्थानीय क्षेत्र" शब्द स्पष्ट रूप से राज्य के भीतर एक सीमित क्षेत्र का संकेत देते हैं न कि पूरे राज्य का।

(पैरा 20)

आगे कहा कि हमारा विचार है कि खंड 59 (ए) वित्तीय आयुक्त को पूरे राज्य के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।यह एक अधिसूचना द्वारा वित्तीय आयुक्त को किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।बिक्री को लाइसेंस या परमिट रखने वाले विक्रेताओं पर जोर देकर नियंत्रित किया जाता है।

(पैरा 22)

आगे अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वित्तीय आयुक्त के पास हरियाणा राज्य में समग्र रूप से थोक लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति थी।इसने नियम 24 (आई-ई. ई. ई.) बनाकर ऐसा किया, जो निर्धारित करता है कि हरियाणा राज्य के लिए केवल एक थोक लाइसेंस होगा।

(पैरा 25)

आगे कहा कि नीति और नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि एल-1 बीएफ लाइसेंस के संबंध में एकल थोक विक्रेता की नियुक्ति उन लोगों के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिनके साथ वह व्यवहार करता है या जिन्हें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं।जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि कुछ विक्रेताओं और निर्माताओं के वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे, जितना कि एकमात्र थोक विक्रेता के पास यह विकल्प होगा कि वह किसके साथ सौदा करेगा।एकमात्र थोक विक्रेता भी कुछ विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का हकदार होगा।

(पैरा 34)

आगे कहा कि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम या नीति, जहाँ तक वे एकमात्र थोक विक्रेता/एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी की नियुक्ति को निर्धारित करते हैं, अधिनियम के विपरीत और अधिकार अधिकारातीत हैं। यह, हमारे विचार से, सही दृष्टिकोण नहीं है। अधिनियम के लिए ऐसा अधिकार या शक्ति प्रदान करना आवश्यक नहीं है।सही तरीका यह देखना होगा कि क्या एल-1 बीएफ लाइसेंस के एकमात्र थोक विक्रेता/एकमात्र लाइसेंसधारी की नियुक्ति पर कोई रोक है।ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।राज्य ने किसी विशेष दल को एकाधिकार नहीं दिया है।इसने सभी पात्र पक्षों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी है।यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि बोली प्रक्रिया अन्यथा त्रुटिपूर्ण थी।यह सुझाव कि एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी को निर्धारित करने वाला संशोधन किसी विशेष पक्ष के पक्ष में था, स्थापित नहीं किया गया है।

(पैरा 36)

राजीव विरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

विकास बहल वरिष्ठ अधिवक्ता,

अलका सरीन, अधिवक्ता

ज्योति प्रकाश, अधिवक्ता

आदित्य मुखर्जी, अधिवक्ता

सुवीर श्योकंद, अधिवक्ता

और आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

लोकेश सिंहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

अधिवक्ता मुकुल अग्रवाल प्रतिवादी नं. 3

मोहन जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

विक्रम जैन, अधिवक्ता

और फतेह सैनी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

लोकेश सिंहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा

शैलेंद्र जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

एम. के. दत्ता, अधिवक्ता

और साहिल नय्यर, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता

एस**.** जे**.** वज़ीफदार**,** चीफ न्यायाधीश

(1) इन याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश और निर्णय द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दे समान हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने अनिवार्य रूप से वर्ष 2017-18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के प्रावधान और एक नियम को चुनौती दी है जो निर्धारित करता है कि केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस दिया जाएगा।एल-1 बीएफ लाइसेंस लाइसेंसधारक को विदेशी शराब (बी. आई. ओ.-मूल में बोतलबंद) में थोक विक्रेता के रूप में सौदा करने का अधिकार देता है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, थोक व्यवसाय केवल एक लाइसेंसधारी को उन कारणों से नहीं सौंपा जाना चाहिए जिन पर हम विचार करेंगे।

(3) 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6870 में, याचिकाकर्ता इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, और भारत में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट और वाइन कंपनियों का एक प्रतिनिधि निकाय होने का दावा करती है।यह विभिन्न मंचों से पहले अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच के रूप में काम करने का दावा करता है।प्रतिवादी संख्या 2 आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा है, प्रतिवादी संख्या 3 है।

आशिर मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसे सबसे अधिक बोली लगाने वाला होने के नाते, विदेशी शराब (बी. आई. ओ.-बॉटल्ड इन ओरिजिनल) में एकमात्र थोक विक्रेता के रूप में सौदा करने के लिए एल-1 बी. एफ. लाइसेंस दिया गया है।

2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6883 में निजी प्रतिवादी सहित उत्तरदाता समान हैं। याचिकाकर्ता, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, होटल और रेस्तरां का एक संघ है जो थोक विक्रेताओं के लिए शराब खरीदते हैं।

(4) 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6883 में निजी प्रतिवादी सहित उत्तरदाता समान हैं। याचिकाकर्ता, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, होटल और रेस्तरां का एक संघ है जो थोक विक्रेताओं के लिए शराब खरीदते हैं।साथ ही प्रतिवादी ने इस नीति की प्रस्तावना पर काफी निर्भरता रखी।इस स्तर पर नीति की प्रस्तावना और प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा।

(ए) प्रस्तावना निम्नानुसार हैः-

" वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा राज्य की आबकारी नीति

प्रस्तावनाः

राज्य की उत्पाद शुल्क नीति में चार प्रमुख हितधारक हैं अर्थात राज्य सरकार, आसवन और शराब बनाने वाले, थोक और खुदरा लाइसेंसधारी और अंततः राज्य के उपभोक्ता और नागरिक।इन सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने वाली उत्पाद शुल्क नीति तैयार करना एक बड़ी चुनौती है।आबकारी और कराधान विभाग को राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को उचित महत्व देना होगा।साथ ही विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के राजस्व हितों से समझौता न हो।इसलिए, सभी हितधारकों के विविध हितों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा।साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्पाद शुल्क नीति निर्माताओं और थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की पूरे दिल से भागीदारी के लिए पर्याप्त आकर्षक हो।

आबकारी नीति का उद्देश्य शराब माफियाओं के गुटों और अनैतिक प्रभुत्व को तोड़ने के दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करना और मजबूत करना, अधिक प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाकर व्यापार को व्यापक बनाना, खुदरा लाइसेंसधारियों को थोक लाइसेंस देकर शराब की थोक आपूर्ति की संरचना को सरल/एकीकृत करना, होना चाहिए।

खुदरा दुकानों के आवंटन की एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना, नकली शराब के निर्माण/बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना, उत्पाद शुल्क की चोरी के प्रयासों को विफल करना, रिसाव/चोरी को रोकना, राजस्व का अनुकूलन, वैध और जिम्मेदार पीने के लिए माहौल बनाना और पीने वालों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब प्रदान करना।

विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जा सकने वाले संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए सरकारी राजस्व को अधिकतम करने को नीति नियोजकों द्वारा हमेशा कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता दी जाती है।हालाँकि, जब एक उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने की बात आती है, तो सामाजिक विचार और प्रभाव भी सर्वोपरि महत्व रखते हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य विचलन को दूर करना, व्यापार में अधिक स्थिरता प्रदान करना, तेजी से बदलते परिदृश्य और ग्राहकों में उभरती आवश्यकता को पूरा करना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना है।शराब पर वैट की दर में वृद्धि और उत्पाद शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाना और कठोर शराब की तुलना में कम मादक शराब की खपत को प्रोत्साहित करना और स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना और सभी प्रमुख हितधारकों की चिंताओं पर विचार करना नई उत्पाद शुल्क नीति की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।वर्ष 2017-18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति की विस्तृत विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(बी) इस प्रस्तावना का पालन करने वाले प्रासंगिक खंडों को नीचे पढ़ा गया है:

अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट और वाइन संगठन भारत v. हरियाणा राज्य और अन्य 1159

(एस. जे. वज़ीफदार, जे.)

" 2.13 अनुज्ञप्ति प्रदान करना:

2.13.1 ई. टी. सी. (एफ. सी.), हरियाणा की मंजूरी के बाद कलेक्टर की ओर से जिले के उप आबकारी और कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे।

2.13.2 सभी लाइसेंस, चाहे थोक के लिए हों या खुदरा बिक्री के लिए, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के प्रावधानों और हरियाणा राज्य में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों/विनियमों/निर्देशों/नीतियों के अधीन दिए जाएंगे।"

"9. निश्चित शुल्क अनुज्ञप्ति:

9.5 आई**.** एफ**.** एल**.** के लिए एल**-1** बी**.** एफ**.** लाइसेंस:

9.5 .1.1 आयातित विदेशी शराब (बी. आई. ओ.) के लिए एल-1 बी. एफ. के रूप में एक थोक लाइसेंस निर्धारित किया गया है।उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा आयात लाइसेंस रखने वाली फर्मों/कंपनियों या व्यक्तियों को उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस दिया जाएगा।लाइसेंसधारी अन्य देशों से बीयर सहित आई. एफ. एल. (बी. आई. ओ.) का आयात करने और राज्य के एल-1, एल-4 और एल-5, एल-12 सी और एल-12 जी को इसकी आपूर्ति करने के लिए अधिकृत होगा।लाइसेंसधारी आई. एम. एफ. एल. और बीयर के मामले में ब्रांडों को पंजीकृत कराएगा।

9.5 .1.2 राज्य में आयातित विदेशी शराब (बी. आई. ओ.) के थोक के लिए एल-1 बी. एफ. के रूप में केवल एक थोक लाइसेंस होगा।विभागीय पोर्टल के माध्यम द्वारा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित करके लाइसेंस दिया जाएगा। राज्य में एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंस के लिए आरक्षित मूल्य 50 करोड़ रुपये होगा।

" एल-1 बीएफ के लिए सामान्य प्रावधान/शर्तें:

(v) एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी को ऐसे सभी ब्रांडों का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा जो खरीद करने वाले लाइसेंसधारियों द्वारा मांगे गए हैं और ऐसे सभी ब्रांड जो 2016-17 में विभाग के साथ पंजीकृत थे।

(vi) लाइसेंसधारक को ब्रांड की मंजूरी के समय प्रत्येक ब्रांड का मूल्य निर्धारण प्रस्तुत करना होगा और विभाग लैंडिंग मूल्य, खर्च, लाभ मार्जिन, पड़ोसी राज्यों में समान या समकक्ष ब्रांडों की प्रचलित दरों और उनकी अधिकतम बिक्री मूल्य फैक्टरिंग को मंजूरी देगा।

सरकारी शुल्क।अनुज्ञप्तिधारी इसे अधिमानतः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में करेगा।"

(जोर दिया गया)

खंड 9.5.1.2 में जिस शर्त पर जोर दिया गया है वह चुनौती के दायरे में है।

(5) याचिकाओं में, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, याचिकाकर्ताओं ने उत्पाद शुल्क नीति के खंड 9.5.2 को रद्द करने और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए दिनांकित 17.03.2017 नोटिस को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि प्रतिवादी संख्या 3 की एक विशेष एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी के रूप में नियुक्ति अमान्य थी।

इस याचिका के विचाराधीनता रहने के दौरान, 29.03.2017 पर, हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम, 2017 पेश किए गए थे और 01.04.2017 से प्रभावी होने वाले थे। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 1970 के नियमों के नियम 24 (आईईईई) को चुनौती देते हुए याचिका में संशोधन किया, जिसे संशोधन नियमों द्वारा पेश किया गया था।नियम में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी की नियुक्ति का प्रावधान था।

(6) 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6883 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन जैन ने नियम 24 (आई-ई. ई. ई.) और उत्पाद शुल्क नीति के खंड में श्री विरमानी की चुनौती का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि पूरे हरियाणा राज्य में केवल एक एल-1 बी. एफ. लाइसेंस जारी किया जाएगा।श्री विरमानी ने दो अन्य विवाद उठाए जिन पर हम पहले चर्चा करेंगे।

(7) सबसे पहले, श्री विरमानी ने प्रस्तुत किया कि बोलीदाताओं के पास एक वैध बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति और निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस केवल 17.03.2017 पर अपलोड किया गया था। प्रतिवादी का तर्क है कि उन्हें 08.03.2017 पर अपलोड किया गया था।वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में विदेशी शराब (बी. आई. ओ.) आयात करने के लिए एकमात्र एल-1 बी. एफ. लाइसेंस के आवंटन के लिए ई-बोलियां आमंत्रित करने के लिए 17.03.2017 पर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी।17.03.2017 शुक्रवार था।नोटिस में निर्धारित किया गया था कि निविदाएं 19.03.2017 (रविवार) को सुबह 9 बजे से 20.03.2017 (सोमवार) को शाम 4 बजे के पूर्वाहन की जानी थीं।निविदाओं का मूल्यांकन शाम 6 बजे आई. डी. 1 पर होना था। ऑनलाइन बोलियां लगाने के लिए ई. एम. डी. के रूप में 2.50 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी थी।याचिकाकर्ताओं ने इन तथ्यों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि पक्षों के पास अपनी बोलियां जमा करने के लिए अपर्याप्त समय था।

(8) हमारे लिए इस निवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ताओं के पास इस तर्क को उठाने का कोई अधिस्थिति नहीं है क्योंकि वे बोली लगाने वाले नहीं थे।

न ही याचिकाकर्ता के प्रत्येक बोलीदाता का कोई सदस्य था संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने के लिए, हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया, जिन्होंने पुष्टि की कि उनके सदस्य भी संभावित बोलीदाता नहीं थे।वे नई निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर भी बोलियां जमा करने में रुचि नहीं रखते हैं।यह मानते हुए भी कि कोई तीसरा पक्ष अधिक बोली जमा कर सकता है, याचिकाकर्ताओं और उनके सदस्यों के

लिए कोई चिंता की बात नहीं है।एल-1 बीएफ लाइसेंस के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल के कारण उनके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।इसलिए वे इस आधार पर निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं।

(9) याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संशोधित नियम 24 (आईईईई) 29.03.2017 पर पेश किया गया था और इसलिए, इसका केवल संभावित प्रभाव है।यह निवेदन इस तथ्य के कारण उठाया गया था कि जब वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क नीति की घोषणा की गई थी, तो यह नियम लागू नहीं किया गया था और इसलिए, उत्पाद शुल्क नीति में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस का प्रावधान अवैध था।

एक से अधिक कारणों से इस प्रस्तुति पर विचार करना आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि नीति के तहत केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी होगा। उनकी शिकायत का निवारण तभी किया जाएगा जब वे केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस रखने के निर्णय को चुनौती देने में सफल होंगे।यदि इस प्रावधान को बरकरार रखा जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वे यह तर्क देने में सफल हो जाएं कि संशोधित नियम का केवल संभावित प्रभाव है, जिसका एकमात्र परिणाम पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करना और नई निविदाओं को आमंत्रित करना होगा।इससे याचिकाकर्ताओं की इस शिकायत का निवारण नहीं होगा कि केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी होना चाहिए।इसलिए, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह मुद्दा केवल विद्या सम्बन्धी है।ऐसी संभावना है कि अधिक राशि प्राप्त की जाएगी, लेकिन इससे याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और न ही उनकी शिकायत का निवारण होगा।दूसरी ओर, इस बात की भी समान संभावना है कि नई निविदा प्रक्रिया में कम राशि प्राप्त की जा सकती है और याचिकाकर्ता राज्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार नहीं थे। इस निवेदन पर एक से अधिक कारणों से विचार करना आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि नीति के तहत केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी होगा। उनकी शिकायत का निवारण तभी किया जाएगा जब वे केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस रखने के निर्णय को चुनौती देने में सफल होंगे।यदि इस प्रावधान को बरकरार रखा जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वे यह तर्क देने में सफल हो जाएं कि संशोधित नियम का केवल संभावित प्रभाव है, जिसका एकमात्र परिणाम पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करना और नई निविदाओं को आमंत्रित करना होगा।यह याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण नहीं करेगा कि

केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी होना चाहिए।इसलिए, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह मुद्दा केवल विद्या सम्बन्धी है।ऐसी संभावना है कि अधिक राशि प्राप्त की जाएगी, लेकिन इससे याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और न ही उनकी शिकायत का निवारण होगा।दूसरी ओर, इस बात की भी उतनी ही संभावना है कि नई निविदा प्रक्रिया में कम राशि प्राप्त की जा सकती है और याचिकाकर्ता उस खाते पर राजस्व के संभावित नुकसान के खिलाफ राज्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हम इस आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

(10) याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क पर विचार करने से पहले, हमें प्रतिवादी की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का कोई अधिस्थिति नहीं है।

(11) यह सच है कि 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6870 में, एकमात्र कथन यह है कि याचिकाकर्ता भारत में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट्स एंड वाइन कंपनियों का एक प्रतिनिधि निकाय है और याचिकाकर्ता विभिन्न मंचों से पहले अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।तथापि, श्री विरमानी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता भारत के बाहर निगमित अपनी सहयोगी/धारक कंपनियों से उत्पाद, अर्थात् मूल में बोतलबंद विदेशी शराब (बी. आई. ओ.) का भी आयात करता है और वह इसे हरियाणा राज्य सहित भारत में थोक विक्रेताओं को बेचने का इरादा रखता है।याचिकाकर्ताओं के वाणिज्यिक हित अच्छी तरह से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि एकमात्र थोक विक्रेता वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित कर सकता है और यह भी तय कर सकता है कि उनके साथ कोई व्यवसाय करना है या नहीं। इसी तरह, 2017 के सीडब्ल्यूपी No.6883 में याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में होटल और रेस्तरां मालिकों का एक संघ है।उनके व्यावसायिक हित भी इसी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए, उनके पास रिट याचिका को बनाए रखने का अधिस्थिति है।क्या उनका इतना प्रभावित होना उन्हें दावा की गई राहत का हकदार बनाता है, यह पूरी तरह से अलग मामला है।इसी तरह, नीति और संशोधित नियमों के लिए उनकी चुनौती अच्छी तरह से स्थापित है या नहीं, यह एक अलग मामला है।यदि चुनौती अन्यथा अच्छी तरह से स्थापित हैं, तो उनके पास निश्चित रूप से यह बनाए रखने का अधिस्थिति है कि उनके हितों के लिए रिट याचिकाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी।

(12) यह हमें मुख्य चुनौती की ओर ले जाता है, अर्थात् वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क नीति के खंड 9.5.1.2 को चुनौती, जहां तक यह प्रावधान है कि राज्य में आयातित विदेशी शराब (बी. आई. ओ.-मूल में बोतलबंद) के थोक के लिए केवल एक थोक लाइसेंस (एल-1 बी.

एफ. लाइसेंस) होगा और संशोधित नियम 24 (आई-ई. ई. ई. ई.), खंड (सी.) जिसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य में केवल एक एल-1 बी. एफ. लाइसेंस होगा।हम जल्द ही इस नियम को निर्धारित करेंगे।

(13) इस चुनौती के समर्थन में पहला तर्क यह है कि वित्तीय आयुक्त के पास थोक लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का अभाव है जिन्हें जारी किया जा सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि केवल राज्य सरकार के पास जारी किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है।नियम 24 (आई-ई. ई. ई. ई.) में संशोधन राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि वित्तीय आयुक्त (कराधान) द्वारा किया गया है और इसलिए यह अवैध है।

(14) पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (हरियाणा राज्य पर लागू) के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"अध्याय **II**

स्थापना और नियंत्रण

8.आबकारी प्रशासन और आबकारी अधिकारी का अधीक्षण और नियंत्रण

(क) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देती है, उत्पाद शुल्क से संबंधित सभी मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण और प्रशासन वित्तीय आयुक्त में निहित होगा।(ख) वित्तीय आयुक्त के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देती है, तब तक आयुक्त अपने प्रभाग के अन्य सभी आबकारी अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।(ग) उपरोक्त विषय और आयुक्त के नियंत्रण के अधीन और जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देती है, कलेक्टर अपने जिले के अन्य सभी आबकारी अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।"

"13. प्रतिनिधिमण्डल:-

(क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की खंड 14,21,22,31,56 और 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर, इस अधिनियम के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति को वित्तीय आयुक्त या आयुक्तों को सौंप सकती है।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय आयुक्त, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या उस समय लागू किसी अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क राजस्व के संबंध में प्रयोग की गई किसी भी शक्ति की ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रत्यायोजन की अनुमति दे सकती है।"

"58. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।- (1)राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है:-

(ङ) उस अवधि और स्थानों को विनियमित करना जिसके लिए, और उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को, जिन्हें थोक या किसी मादक पदार्थ के खुदरा व्यापार के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करना जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं;

(3) नियमों का पिछला प्रकाशन।- द्वारा प्रदत्त शक्ति

नियम बनाने का यह खंड इस शर्त के अधीन है कि नियम पिछले प्रकाशन के बाद बनाए जाएँ;

बशर्ते कि ऐसे कोई भी नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाए जा सकते हैं यदि राज्य सरकार मानती है कि उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए।"

" हरियाणा के लिए खंड 59

59. नियम बनाने के लिए वित्तीय आयुक्त की शक्तियाँ।-

वित्तीय आयुक्त अधिसूचना द्वारा नियम बना सकता है।

(क) किसी भी मादक पदार्थ के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं:-

(15) अधिनियम की खंड 59 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय आयुक्त ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 बनाए थे।नियम 2 ने लाइसेंसों के वर्गों, उनके

अनुदान के तरीके और उन्हें प्रदान करने और नवीनीकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्धारित किया।याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए इस नियम के तहत तालिका पर भरोसा किया कि यह लाइसेंसों की संख्या निर्धारित नहीं करता है।यह वित्तीय आयुक्त में लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति की अनुपस्थिति में का संकेत नहीं देता है। एक शक्ति का प्रयोग हमेशा करने की आवश्यकता नहीं है।यदि इसका प्रयोग किसी दिए गए चरण में नहीं किया जाता है, तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि यह मौजूद नहीं है।

(16) पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की खंड 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार की उत्पाद शुल्क और कराधान अधिसूचना दिनांक 1.04.2016 के संदर्भ में, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने के लिए नियम बनाए।

(एस. जे. वज़ीफदार, जे.)

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970।इन्हें 29.03.2017 पर अधिसूचित किया गया था। इन नियमों को हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाता था।नियम 1 (2) में कहा गया है कि वे 01.04.2017 से लागू होंगे।संशोधन नियमों के नियम 3 ने खंड (आई-ई. ई. ई. ई.) को प्रतिस्थापित करके नियम 24 में संशोधन किया।संशोधन नियमों का नियम 3, जहाँ तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

“3. उक्त नियमों में, नियम 24 में, -

(xiv) खंड (आई-ई. ई. ई. ई.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- “(आई-ई. ई. ई. ई.) एल-1 बी. एफ. प्रपत्र में लाइसेंस के लिए -

(क) आरक्षित राशि रु 50,00,00,000/-

(ख) एल-1 बीएफ के रूप द्वारा लाइसेंस ई के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को आवंटित किया जाएगा।

(ग) राज्य में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस होगा।

(घ) यदि एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंस के लिए आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक कोई योग्य बोली प्राप्त नहीं होती है, तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को आवंटित किया जाएगा।एल-

1 बीएफ लाइसेंसधारी द्वारा शराब के स्टॉक की खरीद के लिए परमिट और ब्रांड लेबल शुल्क निम्नानुसार लगाया जाएगा।"

(17) निम्नलिखित तर्क देने के लिए 1970 के नियमों की खंड 58 (2) (ई) पर काफी निर्भरता रखी गई थी:खंड 58 (2) (ई) के तहत राज्य सरकार अन्य बातों के साथ साथ ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं।खंड 59 में प्रावधान है कि वित्तीय आयुक्त अधिसूचना द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियम बना सकता है।हालांकि, खंड 59 में लाइसेंसों की संख्या का उल्लेख नहीं है।तदनुसार, केवल राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है।इसके अलावा, खंड 13 (ए) के तहत, राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ खंड 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को वित्तीय आयुक्त को सौंपने की हकदार नहीं है।नतीजतन, वित्तीय आयुक्त के पास जारी किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है।

(18) यदि वास्तव में, थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति खंड 58 (2) (ई) के तहत राज्य सरकार में निहित है, तो वित्तीय आयुक्त के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी।न ही उस मामले में, वित्तीय आयुक्त के पास पूरे राज्य के लिए थोक विक्रेताओं के लाइसेंसों की संख्या तय करने के लिए खंड 59 के तहत नियम बनाने की शक्ति होगी।हालाँकि, जैसा कि श्री सिंहल ने सही बताया,

राज्य सरकार की शक्ति खंड 58 (2) (ई) के तहत ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने के लिए नियम बनाना, जो दिए जा सकते हैं, केवल किसी स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित है और उसके संबंध अन्य बातों के साथ साथ है और इसका विस्तार पूरे राज्य के भीतर लाइसेंसों की संख्या तक नहीं है।दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने का अनन्य अधिकार, जो दिया जा सकता है, पूरे राज्य के संबंध में नहीं है।"स्थानीय क्षेत्र" शब्द इस प्रस्तुति का समर्थन करते हैं।"स्थानीय क्षेत्र" शब्द अधिनियम या नियमों में परिभाषित नहीं हैं।हालाँकि, उन्होंने एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है।

(19) निजी प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने इस निवेदन को स्वीकार किया और इसके समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

मैसर्स शक्तिकुमार एम. संचेती और एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य
1.सुप्रीम कोर्ट ने कहाः-

“4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाड ने जोरदार आग्रह किया कि यह मानते हुए भी कि मोटर वाहनों को उपयोग या बिक्री के लिए राज्य में लाया गया था, कर केवल स्थानीय क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर लगाया जा सकता है।यह आग्रह किया गया कि पूरे राज्य को स्थानीय क्षेत्र मानने का कानून संविधान द्वारा इसके लिए बनाई गई अनुमेय सीमाओं से परे चला गया है।विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 52 के तहत माल पर कर लगाने की शक्ति तब है जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका प्रबंधन या प्रशासन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है न कि राज्य द्वारा।निर्भरता दिखाइ गयी डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 652] जिसमें यू. पी. गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 को अधिकार अधिकारातीत माना गया था क्योंकि यह एक कारखाने के परिसर में गन्ने के प्रवेश पर उपकर लगाने का अधिकार देता था।अतः "स्थानीय क्षेत्र" शब्द को कैसे समझा जाना चाहिए, इसकी जांच करने की आवश्यकता है?डायमंड शुगर मिल्स [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 652] में यह सवाल तय नहीं किया गया था कि क्या राज्य का पूरा क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्र था और "स्थानीय क्षेत्र" वाक्यांश में शामिल था।"स्थानीय क्षेत्र" शब्द का उपयोग संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है, जैसे 3 (बी), 12,245 (1), 246,277,321,323-ए और 371-डी। वे संकेत देते हैं कि संवैधानिक इरादा था

(1) (1995)1 एस. सी. सी. 351

(एस. जे. वज़ीफदार, जे.)

"स्थानीय क्षेत्र" को किसी भी क्षेत्र के अर्थ में समझें जो स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित है, निगम, नगर निगम बोर्ड, जिला बोर्ड आदि हो सकते हैं। इस पहलू पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, और हमारी राय में सही है कि परिभाषा पूरे राज्य को स्थानीय क्षेत्र के रूप में नहीं समझती है क्योंकि खंड में "स्थानीय क्षेत्र" से पहले "ए" शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है।उच्च न्यायालय के अनुसार कर योग्य घटना, राज्य के किसी भी क्षेत्र में वाहन का प्रवेश नहीं है, बल्कि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश है।उच्च न्यायालय ने एक उदाहरण देते हुए

इसे समझाया कि यदि कोई मोटर वाहन जबलपुर (मध्य प्रदेश) से अमरावती (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में) में उपयोग या बिक्री के लिए लाया गया था, जो सीमावर्ती क्षेत्र था, तो कर योग्य घटना नागपुर जिले में प्रवेश नहीं थी, बल्कि अमरावती नगर निगम के क्षेत्र में प्रवेश था।इसलिए, राज्य के किसी भी हिस्से में वाहन के प्रवेश पर, बल्कि राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, शुल्क, जैसा कि अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया है, नहीं है।इसलिए इसे इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता है।

(कर्नाटक राज्य बनाम हंसा निगम देखें।[(1980) 4 एससीसी

697 :ए. आई. आर. 1981 एससी 463:(1981) 1 एस. सी. आर. 823)] "

(जोर दिया गया)

उस मामले में, स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 1987 में मोटर वाहनों के प्रवेश पर महाराष्ट्र कर की खंड 3 में दिखाई देने वाले "एक स्थानीय क्षेत्र" शब्द विचार के लिए गिर गए।खंड 58 (2) (ई) में "एक स्थानीय क्षेत्र" शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि "कोई भी स्थानीय क्षेत्र" शब्दों का उपयोग किया गया है।"ए" शब्द के बजाय "कोई भी" शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता।अर्थ एक ही है।अतः उच्चतम न्यायालय का अवलोकन खंड 58 (2) (ई) के समान बल के साथ लागू होता है।

(20) इस संबंध में अधिनियम की खंड 5 पर श्री अग्रवाल की निर्भरता भी अच्छी तरह से स्थापित है।अधिनियम की खंड 5 निम्नानुसार हैः-

“5. खुदरा और थोक द्वारा बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।– राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पूरे पंजाब या उसमें शामिल किसी भी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में और आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट वर्ग के खरीदारों और आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवसरों के लिए किसी भी मादक पदार्थ की अधिकतम या न्यूनतम मात्रा या दोनों की खरीद के संबंध में घोषणा कर सकती है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुदरा और पूर्ण बिक्री द्वारा बेचा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

इस खंड के शब्द "या तो पूरे पंजाब के लिए या उसमें शामिल किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए" स्पष्ट रूप से "पूरे राज्य" और "एक स्थानीय क्षेत्र" के बीच के अंतर को इंगित करते हैं।"स्थानीय क्षेत्र" के संबंध में "उसमें शामिल" शब्द इसे और स्पष्ट करते हैं।"उसमें शामिल" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक "स्थानीय क्षेत्र" पंजाब राज्य के भीतर शामिल है।यदि इरादा राज्य सरकार को समग्र रूप से पूरे राज्य में लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना था, तो विधानमंडल ने खंड 58 (2) (ई) में "पूरे पंजाब" शब्दों का उपयोग किया होगा, न कि "स्थानीय क्षेत्र" शब्दों का।इसलिए "स्थानीय क्षेत्र" शब्द स्पष्ट रूप से राज्य के भीतर एक सीमित क्षेत्र का संकेत देते हैं न कि पूरे राज्य का।

(21) यहां तक कि खंड 58 (2) (ई) में प्रयुक्त "स्थानीयता" शब्द भी एक सीमित क्षेत्र को संदर्भित करता है न कि पूरे राज्य को।"स्थानीयता" शब्द अधिनियम या नियमों में भी परिभाषित नहीं है।यह आम तौर पर एक अपेक्षाकृत छोटे सघन क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र होगा और इसलिए, एक स्थानीय क्षेत्र से छोटा होगा।इस शब्द का उपयोग अन्य अधिनियमों में एक शहर, शहर या गाँव से छोटा "सघन क्षेत्र" के अर्थ में किया गया है।(के. जे. अय्यर का न्यायिक शब्दकोश, 16 वां संस्करण, पृष्ठ-1046 देखें)

किसी भी स्थिति में, खंड 58 (2) (ई) में "स्थानीय" शब्द लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है। यह उस अवधि और स्थानों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के लिए प्रासंगिक है जिसके लिए उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को थोक या किसी भी मादक पदार्थ के खुदरा द्वारा बिक्री के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं।इसके बाद शब्द हैं "और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करना जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं।"इस प्रकार, लाइसेंसों की संख्या एक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में है न कि एक इलाके के संबंध में।

(22) हमारे विचार में खंड 59 (ए) वित्तीय आयुक्त को पूरे राज्य के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।यह एक अधिसूचना द्वारा वित्तीय आयुक्त को किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।बिक्री को लाइसेंस या परमिट रखने वाले विक्रेताओं पर जोर देकर नियंत्रित किया जाता है।इस प्रकार, लाइसेंस जारी करना "किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री को विनियमित करना" शब्दों के भीतर आता है। लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति पर जोर देकर बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति में लाइसेंस की संख्या सहित लाइसेंस के सभी पहलुओं को विनियमित करने

की शक्ति शामिल होगी।जहां लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार को प्रदान की जाती है, वहां उस प्रभाव के लिए खंड 58 (2) (ई) में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है।इसलिए यह स्वयंसिद्ध है कि विनियमित करने की शक्ति

स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंसों की संख्या वित्तीय आयुक्त को प्रदान की जाती है।

(23) श्री विरमानी का यह निवेदन कि खंड 8 के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियां इतनी व्यापक नहीं हो सकती हैं कि खंड 58 (2) में जो निर्दिष्ट किया गया है उसे किया जा सके। इसके विपरीत एक दृष्टिकोण, वास्तव में, खंड 13 को अनुचित बना देगा।इसलिए, वित्तीय आयुक्त खंड 58 (2) में विशेष रूप से जो कहा गया है, उसके संबंध में नियम नहीं बना सकता है, जैसे कि उत्पाद शुल्क अधिकारी के कर्तव्यों को निर्धारित करना, प्रस्तुत करने का समय और तरीका और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के आदेशों से अपीलों से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित करना, किसी भी मादक या उत्पाद शुल्क की बोतल के आयात और निर्यात, परिवहन या कब्जे को विनियमित करना और ऐसी बोतलों के किसी भी प्रकार के विवरण का हस्तांतरण, मूल्य या उपयोग या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री पर निषेध लगाना।इस संबंध में, राणा शुगर लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2 मामलों में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले पर श्री विरमानी की निर्भरता अच्छी तरह से स्थापित है।खण्ड पीठ ने फैसला सुनाया कि:-

"23. वित्तीय आयुक्त के पास निस्संदेह बोतल के आकार और उस सामग्री के बारे में विनिर्देश को खंडीकृत करने की शक्ति थी जिसमें इसका उपयोग खंड 59 के उपखंड (बी) के तहत बिक्री के उद्देश्य से शराब की बोतल को विनियमित करने के उद्देश्य से किया जाना था, लेकिन एक बार जब राज्य सरकार के पास अधिनियम की खंड 58 (2) (डी) के तहत केवल बोतल के आकार को निर्धारित करने के संबंध में एक विशिष्ट शक्ति थी, तो वित्तीय आयुक्त की अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना होगी।"

हालाँकि, हमारे इस निष्कर्ष को देखते हुए कि पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने की शक्ति खंड 58 में निहित नहीं है, इस निवेदन को बरकरार रखने से याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

(24) श्री सिंहल का यह कहना कि यह सुझाव देना हास्यास्पद तर्क होगा कि वित्तीय आयुक्त लाइसेंस का प्रकार निर्धारित कर सकते हैं लेकिन लाइसेंसों की संख्या इस मुद्दे को निर्धारित करने में कोई सहायता नहीं है।यह विधानमंडल को तय करना है कि क्या राज्य सरकार या वित्तीय आयुक्त के पास लाइसेंसों के प्रकार या लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है।यह दोनों में से किसी को भी शक्ति प्रदान कर सकता है

2 2012(65) आर. सी. आर (सिविल) 249

या दोनों।वास्तव में, इसने खंड 58 (2) (ई) में राज्य सरकार को केवल स्थानीय क्षेत्र के संबंध में लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की है।

(25) इन परिस्थितियों में, यह माना जाना चाहिए कि वित्तीय आयुक्त के पास हरियाणा राज्य में समग्र रूप से थोक लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति थी।इसने नियम 24 (आई-ई. ई. ई.) बनाकर ऐसा किया, जो निर्धारित करता है कि हरियाणा राज्य के लिए केवल एक थोक लाइसेंस होगा।

(26) इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 24 (आई-ई. ई. ई.) और खंड 9.5.2 जो यह निर्धारित करता है कि हरियाणा राज्य के लिए केवल एक ही थोक लाइसेंस होगा, उत्पाद शुल्क नीति के विपरीत है, जिसकी प्रस्तावना हमने पहले उद्धृत की थी।

(27) यह सच है कि वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा राज्य की उत्पाद शुल्क नीति की प्रस्तावना में कहा गया है कि हरियाणा राज्य की उत्पाद शुल्क नीति का एक उद्देश्य अधिक प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाकर व्यापार को व्यापक बनाना है।हालाँकि, यह नीति राज्य की प्रतिस्पर्धी मांगों और उद्देश्यों को मान्यता देती है।हालाँकि, इस नीति का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार के राजस्व हितों से समझौता न किया जाए और राज्य के राजस्व का अनुकूलन किया जाए।प्रस्तावना के उप-पैराग्राफ (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जा सकने वाले संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए सरकारी राजस्व को अधिकतम करने को नीति योजनाकारों द्वारा हमेशा कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता दी जाती है।हालांकि, जब एक उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने की बात आती है, तो सामाजिक विचार और प्रभाव भी सर्वोपरि महत्व रखते हैं।चौथे उप-अनुच्छेद में कहा गया है कि इस नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व को बढ़ाना है।

(28) प्रस्तावना, जिसे समग्र रूप से पढ़ा जाता है, इंगित करती है कि आबकारी नीति का उद्देश्य शराब के व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखना और राज्य की विभिन्न जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं को पूरा करना है।वित्तीय आयुक्त और राज्य को प्रतिस्पर्धी मांगों और आवश्यकताओं को संतुलित करना होगा-राजस्व को अनुकूलित करने की आवश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक विचारों और प्रभावों को संबोधित करना।अन्य प्रतिस्पर्धी मांगें और पहलू हैं जिन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि शराब माफिया के गुटों और अनैतिक प्रभुत्व को तोड़ना, नकली शराब के निर्माण/बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना और उत्पाद शुल्क की चोरी के प्रयासों को विफल करना।इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना एक नीतिगत मामला है जिसे अधिनियम के तहत राज्य और अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हैं और प्रत्येक प्रतिस्पर्धी मांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे योग्य हैं।

उनके बीच सर्वोत्तम संभव संतुलन बनाएँ।न्यायालयों को ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप करने में तब तक देरी करनी चाहिए जब तक कि वे दुर्भावनापूर्ण या मनमाने न हों।

(29) वित्तीय आयुक्त ने नीति और नियमों में विवादित प्रावधानों द्वारा एकल थोक लाइसेंस प्रदान करके राजस्व की रक्षा की है।इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।पिछले उत्पाद शुल्क वर्ष 2016-17 में लाइसेंस शुल्क और अधिनियम के तहत शुल्क सहित कुल राजस्व केवल Rs.22 करोड़ था, जबकि वर्तमान नीति के तहत पहले से उत्पन्न राजस्व Rs.62 करोड़ से अधिक है।

(30) यह हमें याचिकाकर्ताओं की आशंका की ओर लाता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधित नियम और नीति में यह शर्त कि पूरे हरियाणा राज्य में केवल एक ही थोक लाइसेंस होगा, याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।उनके अनुसार, पूर्वाग्रह यह है कि एकमात्र थोक विक्रेता अपनी इच्छानुसार वाणिज्यिक शर्तों को चुन और निर्देशित कर सकता है।यदि अधिक लाइसेंसधारी होते तो प्रतियोगिता विक्रेताओं और खरीदारों के हितों की भी रक्षा करती।

(31) दूसरी ओर, श्री सिंहल ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।उन्होंने तर्क दिया कि उदाहरण के लिए खंड 9.5.3 और उप-खंड (v) और (vi) विशेष रूप से मूल्य निर्धारण के साथ-साथ मांग में किसी भी ब्रांड की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं।

(32) नीति के भीतर कुछ सुरक्षा उपाय हो सकते हैं जो ऊपर की ओर लाइसेंसधारियों जैसे निर्माताओं के साथ-साथ नीचे की ओर लाइसेंसधारियों यानी खरीदारों, जैसे खुदरा विक्रेताओं और बार, क्लब और रेस्तरां के लिए लाइसेंस धारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एकल थोक विक्रेता उन पक्षों को चुन सकता है जिनसे वह निपटना चाहता है और वास्तव में, विभिन्न रणनीतियों को तैयार करके उन लोगों से निपटने से इनकार कर सकता है जिनसे वह निपटना नहीं चाहता है। ऐसा करने में, एकमात्र थोक विक्रेता दूसरों की तुलना में किसी विशेष ब्रांड या ब्रांड को प्रभावी ढंग से बढ़ावा और प्रोत्साहित कर सकता है।उदाहरण के लिए, वह किसी विशेष डीलर या विशेष ब्रांड के डीलर को अलग-अलग भुगतान सुविधाएं प्रदान कर सकता है और दूसरों या कुछ अन्य ब्रांडों में सौदा करने वाले अन्य लोगों को ऐसा नहीं दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सके।सवाल यह है कि क्या इससे एकल थोक विक्रेता की नियुक्ति अवैध हो जाएगी।

(33) हम मानेंगे कि राज्य को शराब के व्यापार और व्यापार में भी निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।हम यह मान लेंगे कि शराब के लाइसेंस और परमिट देने में राज्य एक पिक एंड चॉइस नीति नहीं दे सकता है

और उन सभी के लिए मैदान खुला रखें जो अन्यथा पात्र हैं।वर्तमान उत्पाद शुल्क नीति में, राज्य ने प्रत्येक पात्र पक्ष को बोली लगाने की अनुमति दी है।इसने किसी भी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में भेदभाव नहीं किया है।थोक विक्रेता की नियुक्ति के लिए आवश्यक मानदंड बोली का मूल्य है।

(34) इस आधार पर नीति और नियम को चुनौती कि एल-1 बीएफ लाइसेंस के संबंध में एकमात्र थोक विक्रेता की नियुक्ति उन लोगों के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिनके साथ वह व्यवहार करता है या जिन्हें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं।जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि कुछ विक्रेताओं और निर्माताओं के वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे, जितना कि एकमात्र थोक विक्रेता के पास यह विकल्प होगा कि वह किसके साथ सौदा करेगा।एकमात्र थोक विक्रेता भी कुछ विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का हकदार होगा।हालाँकि, यह नीति को अवैध नहीं बनाएगा।एक निजी पक्ष को किसी भी व्यक्ति या उद्यम के साथ सौदा करने का अधिकार है।विशेष परिस्थितियों के

अनुपस्थिति में राज्य ऐसा नहीं कर सकता है।हम मान लेंगे कि जहां तक शराब के व्यापार और व्यवसाय का संबंध है, वह ऐसा नहीं कर सकता है।हालांकि, एक बार जब कोई मामला राज्य के नियंत्रण या राज्य के उपकरणों से निजी उद्यमों के हाथों में चला जाता है, तो राज्य और उसके उपकरणों पर लागू प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।नीलामियों और निविदाओं में हमेशा ऐसा ही होता है।उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां राज्य एक इमारत या इमारतों के समूह का निर्माण करने का निर्णय लेता है।यह अन्य सभी को बाहर करने के लिए स्वयं ऐसा कर सकता है।इसे ऐसा करने के लिए निजी पक्षों को शामिल करने का भी अधिकार है।राज्य यह नहीं चुन सकता कि किसके साथ व्यवहार करना है।किसी विशेष परिस्थिति के अनुपस्थिति में, राज्य प्रत्येक पक्ष के दावे पर विचार करने के लिए बाध्य होगा जो अन्यथा काम करने के लिए पात्र है।हालांकि, एक बार जब राज्य एक भवन के निर्माण के अपने अधिकार से अलग हो जाता है और इसे एक निजी उद्यम को सौंप देता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है क्योंकि यह उस काम से संबंधित है जो उसने निजी पक्ष को दिया है।ठेकेदार निर्माण में शामिल प्रत्येक वस्तु के संबंध में निविदाएं बुलाने के लिए बाध्य नहीं है।ठेकेदार भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रत्येक पक्ष के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है।ठेकेदार को ऐसे पक्षों से सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जो वह चाहता है और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो ठेकेदार चाहता है।सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को ठेकेदार को सामग्री की आपूर्ति करने का अवसर देने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं होगा।खेल के नियम जो किसी राज्य या राज्य के किसी साधन पर लागू होते हैं, ऐसे ठेकेदारों पर लागू नहीं होते हैं।

(35) यह शराब लाइसेंस के मामले में भी लागू होगा।राज्य को अन्य सभी को छोड़कर शराब के मामले में सौदा करने का अधिकार है।हम यह मान लेंगे कि जब यह अपने विशेषाधिकार से अलग होता है तो यह उन सभी पक्षों के दावों पर विचार करने के लिए बाध्य है जो इस विशेषाधिकार को प्राप्त करने के पात्र हैं।एक बार जब राज्य इस विशेषाधिकार से अलग हो जाता है और इसे एक निजी पक्ष को सौंप देता है, तो राज्य पर लागू होने वाले खेल के नियम काम करना बंद कर देते हैं।इसके बाद लाइसेंसधारक तब तक लाइसेंस संचालित करने के हकदार हैं जब तक वे कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं और जब तक वे लाइसेंस के सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हैं।राज्य सरकार लाइसेंसधारियों पर शर्तें लगा सकती है।हालांकि, जब तक राज्य इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तब तक लाइसेंसधारी को पॉलिसी या लाइसेंस में

निर्धारित नियमों और शर्तों को छोड़कर किसी भी पक्ष से स्टॉक खरीदने और बेचने का अधिकार है।

(36) श्री मोहन जैन ने तर्क दिया कि न तो अधिनियम और न ही नियम राज्य सरकार को किसी विशेष दल के पक्ष में एकाधिकार बनाने का अधिकार देते हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम या नीति, जहां तक वे एकमात्र थोक विक्रेता/एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी की नियुक्ति को निर्धारित करते हैं, अधिनियम के विपरीत हैं और इसके अधिकार अधिकारातीत हैं। यह, हमारे विचार से, सही दृष्टिकोण नहीं है।अधिनियम के लिए ऐसा अधिकार या शक्ति प्रदान करना आवश्यक नहीं है।सही तरीका यह देखना होगा कि क्या एल-1 बीएफ लाइसेंस के एकमात्र थोक विक्रेता/एकमात्र लाइसेंसधारी की नियुक्ति पर कोई रोक है।ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।राज्य ने किसी विशेष दल को एकाधिकार नहीं दिया है। इसने सभी पात्र पक्षों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी है।यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि बोली प्रक्रिया अन्यथा त्रुटिपूर्ण थी।यह सुझाव कि एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी को निर्धारित करने वाला संशोधन किसी विशेष पक्ष के पक्ष में था, नहीं दिया गया है। मेसर्स खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम स्टेट ऑफ

कर्नाटक और अन्य **3,** एक निर्णय जिस पर दोनों पक्षों ने भरोसा किया**,** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा**:-**

"22. कुवरजी बी. भरुचा बनाम आबकारी आयुक्त और मुख्य आयुक्त, 1954 एस. सी. आर. 873:ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 220, जहाँ 1915 के उत्पाद शुल्क विनियमन I के अधिकारों को अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी, पाँच विद्वान न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य बातों के अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि**:**

…… …….....…… …….....…….....

(3) (1995) 1 एससीसी 574

(ग) जब अनुबंध को सार्वजनिक नीलामी के लिए खोला जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार होता है और इस तरह एकाधिकार पैदा होता है।"

(37) कुवरजी बी. भरुचा बनाम आबकारी आयुक्त और मुख्य आयुक्त, अजमेर 4 में, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तर्क दिया कि उत्पाद शुल्क विनियम और नीलामी नियम अधिकार अधिकारातीत थे क्योंकि वे कुछ व्यक्तियों को व्यापार का एकाधिकार देने के लिए कथित थे और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के साथ असंगत थे।सुप्रीम कोर्ट ने कहाः-

"8. यह तर्क कि इनमें से कुछ प्रावधानों का प्रभाव सरकार को दूसरों के बहिष्कार के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को एकाधिकार अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है और इस तरह के एकाधिकार अधिकारों का निर्माण अनुच्छेद 19 (6) के तहत बनाए नहीं रखा जा सकता है, फिर से बल के बिना है। निर्भरता रखी गई राशिद अहमद बनाम कैराना नगर निगम बोर्ड, ए. आई. आर. 1950 सुप्रीम कोर्ट 163 में वह निर्णय उस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है जिसके लिए दावा किया गया है। व्यवसाय से उन्मूलन और बहिष्कार शराब व्यवसाय की प्रकृति में निहित है और व्यापारों पर लागू होने वाले ऐसे व्यावसायिक सिद्धांतों पर लागू होना शायद ही उचित होगा जो सभी ले जा सकते हैं। विनियमन के प्रावधानों पर केवल इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि वे एकाधिकार पैदा करते हैं।ठीक से कहें तो एकाधिकार तभी हो सकता है जब एक व्यापार जो सभी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, कानून द्वारा आम जनता को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को सौंपा जाता है।हालाँकि, शराब के व्यवसाय के मामले में ऐसा नहीं है। इस संबंध में लॉर्ड पोर्टर की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है-'राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया बनाम बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स, 1950 एसी 235।यह उनके न्यायाधीश ने कहाः

"फिर भी इस क्षेत्र में हर अन्य प्रस्ताव के बारे में एक आरक्षण किया जाना चाहिए।क्योंकि उनके अधिपतियों का इरादा यह निर्धारित करने का नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार नहीं किया जाएगा ताकि किसी राज्य या राष्ट्रमंडल एजेंसी या किसी अन्य निकाय में एकाधिकार पैदा किया जा सके।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और समय की अपनी सेटिंग के आधार पर किया जाना चाहिए।"

---

(4)1954 एयर (एससी) 220 = 1954 एससीआर 873

इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि यह तर्क एक भ्रांति से ग्रस्त है।नियमों के तहत जनता के प्रत्येक सदस्य को जो शराब का व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।यह एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा शराब के व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है।जब अनुबंध को सार्वजनिक नीलामी के लिए खोला जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार होता है और इस तरह एकाधिकार पैदा होता है।इन सभी कारणों से हमारी राय है कि यह तर्क कि विनियमन के प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ता के स्वतंत्र रूप से शराब का व्यापार करने के अधिकारों को न्यूनन हैं, बनाए नहीं रखा जा सकता है।"

(38) इन परिस्थितियों में रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सरिता गुप्ता